न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 70/2021 निर्णय दिनांकः– 31-01-2025
(जीसीएमएस संख्या 2021/285)

1. प्रभूराम पुत्र पीथाराम जाति जाट मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/1. प्रकाशचन्द्र पुत्र प्रभूराम जाति मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/2. गणेशाराम पुत्र प्रभूराम जाति मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/3. उमाराम पुत्र प्रभूराम जाति मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/4. अर्जुनराम पुत्र प्रभूराम जाति मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/5. भागीरथ पुत्र प्रभूराम जाति मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/6. गंगाराम पुत्र प्रभूराम जाति मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/7. भंवरी पुत्री प्रभूराम जाति मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/8. गोमती पुत्री प्रभूराम जाति मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/9. कैलाश पुत्री प्रभूराम जाति मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/10. सीरू पुत्री प्रभूराम जाति मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/11. सुमन पुत्री प्रभूराम जाति मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. पेमा देवी पुत्री पीथाराम पत्नी ईश्वरराम जाति जाट मण्डीवाल निवासी दुदाबास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11–08–2021
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री प्रहलाद जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11–08–2021 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व विभाजन की डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दुदाबास के खसरा नम्बर 71 तादादी 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 तादादी 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 73 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74 तादादी 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 तादादी 12.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104 तादादी 6.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 तादादी 9.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 151 तादादी 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 206 तादादी 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 207 तादादी 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 तादादी 6.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 209 तादादी 0.10 हैक्टेयर कुल तादादी 35.88 हैक्टेयर में स्थित है। जो अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलांट की माता की संयुक्त खातेदारी रही है। अराजी जैर में अपीलांट की माता, अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज था लेकिन अपीलांट की माता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट के पास रहती थी इसलिए अराजी जैर अपील मौके पर 1/2–1/2 हिस्से के अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने पति के साथ मिलकर अपीलांट की माता से उसका 1/3 हिस्सा अपने पक्ष में रिलीज करवा लिया जबकि काश्तकारी अधिनियम में रिलीज में कोई प्रावधान नहीं है तथा ना ही कोई एक सहखातेदार अपना हिस्सा एक विशेष सहखातेदार के पक्ष में रिलीज कर सकता है। ऐसी रिलीज डीड जो एबिनिशियो वॉयड है उसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं होते है। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 2/3 हिस्सा मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट/प्रतिवादी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी कर दी है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को किसी भी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही नोटिस की तामील अपीलांट को हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में अंकित किया है कि अपीलांट/प्रतिवादी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादी/अपीलांट के अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 04–03–2021 को जारी किया गया और आगामी नियत पेशी 07–04–2021 को अदालत में उपस्थित होने हेतु अवसर दिया गया। इस समय विश्वव्यापी महामारी कोविड –19 का प्रकोप था ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु दुबारा नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के इस कृत्य मात्र से ही यह साबित है कि अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुंचाने की गरज मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विभाजन की डिक्री जारी करने से पूर्व वादी ने अदालत मातहत के समक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ना ही दावे को साबित करवाया गया। अदालत मातहत के समक्ष वादी द्वारा कोई साक्ष्य

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत नहीं करने पर अदालत मातहत को तहसीलदार से दावा में वर्णित भूमि बाबत रिकोर्ड की स्थिति का स्पष्टीकरण लेना चाहिए था एवं मौका की रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए थी। मगर अदालत मातहत द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करते हुए सीधे निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन—फानन में की गई है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए व विभाजन के नियमों पर माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा पारित आदेश में मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट्स को प्राप्त नहीं हो सकी थी। अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था तब महामारी कोविड—19 का प्रकोप संपूर्ण विश्व में था इसलिए इस अवधि में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मियांद की छूट प्रदान की है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06—12—2021 को हुई तथा जानकारी के दिन से बिना किसी विलम्ब के अपीलांट्स द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ विलम्ब को माफ किया जाना चाहिए। अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियांद अपील प्रस्तुत करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कथन किया गया है उस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए मौके की जॉच करते हुए व अपीलांट्स के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में

आरएलडब्ल्यू 2014 (1) आरजे पेज 618, आरएलडब्ल्यू 2008 (1) आरजे पेज 649 व माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 10 जनवरी 2022 विविध प्रार्थना पत्र नम्बर 21/2022 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के बाबत् सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलांट को तलब करने हेतु नोटिस जारी किया गया मगर उक्त जारी नोटिस तामील या अदम तामील होकर प्राप्त नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–03–2021 को प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामिल करवाये जाने का आदेश पारित किया गया जिस पर प्रतिवादी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया आगामी पेशी दिनांक 07–04–2021 तक प्रतिवादी के उपस्थित नही आने पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी को हाजिर होने के लिए 4 अवसर प्रदान किये गये। मगर दिनांक 05–08–2021 तक प्रतिवादी के न्यायालय के समक्ष जान–बूझकर उपस्थित नहीं आने की स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट् का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी करने से पूर्व राज्य सरकार से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की गई इस संबंध में यह स्पष्ट है कि विभाजन के वाद में दर्ज रिकोर्ड भूमि का बाय मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन करवाना था एवं राज्य पक्ष से किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मांगी गई थी ना ही किसी प्रकार की कोई घोषणा करवाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में मौके एवं रिकोर्ड की रिपोर्ट मंगवाया जाने की कोई जरूरत नहीं थी।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र जमाबंदी के अनुसार दर्ज रिकोर्ड भूमि के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं अपीलांट ने उक्त डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि रिलीज

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डीड का कोई प्रावधान नहीं है एवं रिलीज डीड किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं की जा सकती है इस संबंध में अपीलांट या अन्य किसी ने आदिनांक तक निष्पादित रिलीज डीड को चुनौती प्रदान नही की है एवं तथाकथित रिलीज डीड आज भी अपने अस्तित्व में है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विभाजन की प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र जमाबंदी के मुताबिक हिस्सों का विभाजन किया है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होने से पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने आगे कथन किया कि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते हुए भी अपीलांट द्वारा मियांद बाहर अपील प्रस्तुत की है। जहां मियांद बाहर अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं हो वहां अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता है। साथ ही कई उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि झूठी दलीलों के आधार पर जान–बूझकर किये गये विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता है। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांट् की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11–08–2021 के विरूद्व अपील दिनांक 20–12–2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आक्षेपित आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मियांद बाहर होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु अर्थात मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया। मगर नोटिस के तामील अथवा अदम तामील प्राप्त नहीं होने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं आने की स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी को हाजिर होने के 4 अवसर प्रदान किये गये। किन्तु जब भी प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आने की स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। जहां तक अपीलांट का यह कथन कि वादगत भूमि बाबत अपीलांट की माता द्वारा निष्पादित रिलीज डीड शून्य है एवं ऐसी शून्य रिलीज डीड के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है इस संबंध में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि अपीलांट ने तथाकथित रिलीज डीड को कहीं भी चुनौती दी हो। कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज तब तक वैद्य/अस्तित्व में होने की उपधारणा की जायेगी जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अवैद्य/निरस्त नहीं किया जाता हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत भूमि का अपीलांट 1/3 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 2/3 हिस्सा दर्ज रिकोर्ड है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने समक्ष विभाजन के वाद के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड तथा कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश प्रदान किया है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट कहीं भी यह साबित नहीं कर पाये है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट किस प्रकार से व्यथित है क्योंकि अपीलाधीन आदेश से अधीनस्थ न्यायालय ने केवल राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड तथा कब्जा काश्त अनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार करने का आदेश पारित किया है। खातेदार काश्तकार अपने हिस्से के अनुसार विभाजन करवाने का अधिकारी होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11–08–2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 31-01-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर